हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
श्री शहजाद पुत्र साबिर जाति कुरैशी मुसलमान निवासी सोसायटी के पास, हसनपुर पुलिस थाना भवन जिला शमली (उत्तरप्रदेश)
: ब ना म :
स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना, छत्तरगढ़ जिला बीकानेर
किस्म मुकदमा विविध
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 7 राज. ऊंट(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015 व धारा 457 द.प्र.स.)
मुकदमा संख्या 08/19 29.1.19

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पुलिस थाना छत्तरगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी शहजाद, वसीम तथा शौकीन द्वारा वध करने के उद्धेश्य से ऊंटयी प्रजाति के पशुओ को प्रस्थापित करना, निर्यात करना तथा परिवहन करना जुर्म 3/8, 5/8 राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015 के तहत दण्डनीय अपराध मानकर मुकदमा नं 201/18 दर्ज कर अनुसंधान हुआ। बाद अनुसंधान मुलजिमान के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान पेश होना है। जब्तशुदा ऊंटो की खरीद फरोख्त /निर्यात/ परिवहन / प्रव्रंजन के संबध में कोई भी सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त परमिट/अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया गया है । ग्राम पंचायत कैलां का सरंपच ऊंट (वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015 के अनुसार प्रमाण पत्र/परमिट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र आफ्टर थोट प्रतीत होते है। प्रकरण का अंतिम निपटारा माननीय न्यायिक अदालत द्वारा किया जाना हैं उक्त प्रकरण के अंतिम निपटारे से पूर्व हम उक्त जब्तशुदा 16 ऊंट/ऊंटनियां को प्रार्थी शहजाद की सुपुर्दगी में देना न्यायोचित नहीं समझते है।

Dispatch No. 144-45 30.1.19

अतः उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी शहजाद का प्रार्थना–पत्र एतद् द्वारा अस्वीकार किया जाता है एवं थानाधिकारी, थाना पुलिस छत्तरगढ को आदेश दिये जाते है कि प्रश्नगत प्रकरण में सक्षम न्यायिक अदालत में चालान पेश नहीं किया गया है तो अविलम्ब चालान पेश करे। जब्तशुदा 16 ऊंट/ऊंटनियां जोकि श्री हरि गो शाला संस्था, 646 आर डी, देवासर की सुपुर्दगी फलस्वरूप अभिरक्षा में है को श्री हरि गो शाला संस्था, 646 आरडी देवासर की अभिरक्षा में रखा जावें। प्रबंधक श्री हरि गो शाला संस्था को यह आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा 16 ऊंट/ऊंटनियों को थानाधिकारी, थाना पुलिस छत्तरगढ़ द्वारा आपकी अभिरक्षा में रखा गया है उन पशुओं की सम्पूर्ण सुरक्षा व उनके चारे आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। थानाधिकारी थाना पुलिस छत्तरगढ़ से प्राप्त उनकी मुल पत्रावली लौटाई जावे।

आदेश आज दिनांक **29.01.2019** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर नंबर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner